

पी0एन0जी0 राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रामनगर, (नैनीताल) उत्तराखण्ड

P.N.G. Govt. P.G. College Ramnagar

स्नातक प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश हेतु आवश्यक प्रमाण-पत्र

1. प्रवेश काउंसलिंग फार्म।
2. पी0 एन0 जी0 पी0 जी0 कालेज, रामनगर के वेबसाइट पर भरा गया ऑनलाइन प्रवेश फार्म।
3. समर्थ पोर्टल प्रवेश हेतु आवेदन किया ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फार्म।
4. हाईस्कूल की अंकतालिका एवं प्रमाण पत्र।
5. इण्टरमीडिएट की अंकतालिका एवं प्रमाण पत्र।
6. स्थानान्तरण प्रमाण पत्र (टी0सी0)।
7. चरित्र प्रमाण पत्र (सी0सी0)।
8. प्रवजन प्रमाण पत्र (माइग्रेशन)।
9. जाति प्रमाण पत्र/क्षैतिज आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण पत्र/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)।
10. अधिभार अंको से सम्बन्धित प्रमाण पत्र (एन.सी.सी./एन.एस.एस./खेल/आर्मी डिपेन्डेंट आदि)
11. गैप ईयर शपथ पत्र (Affidavit) (यदि इण्टरमीडिएट 2026 से पूर्व उत्तीर्ण किया हो)
12. यदि गैप ईयर हो तो गैप ईयर का सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित चरित्र प्रमाण पत्र।
13. इण्टरमीडिएट यदि राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी संस्थान (NIOS)/दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से उत्तीर्ण किया हो। इस स्थिति में प्रवेशार्थी द्वारा पूर्व में संस्थागत रूप से अध्ययन की गयी कक्षा का TC/CC आवश्यक रूप से प्रस्तुत करना होगा।
14. यदि विद्यार्थी पूर्व शैक्षणिक सत्रों में विश्वविद्यालय में किसी संकाय में नामांकित है और पुनः वर्तमान सत्र में प्रवेश का इच्छुक हो तो सम्बन्धित विद्यार्थी को अपनी पूर्व की नामांकन संख्या विश्वविद्यालय में निरस्त करवानी आवश्यक है, इस हेतु एक शपथ पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। जिस संस्थान में नामांकित होगा, उस संस्थान का TC/CC जमा करना होगा।
15. एण्टी रैगिंग फार्म ऑनलाइन भरना है। लिंक—https://antiragging.in/affidavit_affiliated_form.php
16. एंटी ड्रग ई—शपथ पत्र ऑनलाइन भरना है। लिंक—<https://pledge.mygov.in/fightagainstdrugabuse/>
17. अपार आईडी/एबीसी आईडी की प्रति।

नोट:— कुमाऊँ विश्वविद्यालय नैनीताल द्वारा जारी प्रवेश नियमावली 2025 के नियम संख्या 1.17 के अनुसार प्रवेशार्थी द्वारा महाविद्यालय में प्रवेश लेने के पश्चात अभ्यर्थी के आवेदन पत्र सम्बन्धित अभिलेख यथा—आवेदन पत्र, शैक्षणिक प्रपत्र, टी0सी0, सी0सी0, माइग्रेशन आदि अन्य प्रपत्रों का 03 माह पश्चात विनिष्टीकरण कर दिया जायेगा। यह नियम प्रवेश से वंचित छात्रों के सम्बन्ध में भी लागू होगा।

अतः ऐसे अभ्यर्थी जो प्रवेश से वंचित रह जाते हैं अथवा जो विद्यार्थी अपना प्रवेश लेकर आगे अपनी पढ़ाई जारी नहीं रखना चाहते हैं तो वे अपने प्रवेश आवेदन के साथ संलग्न मूल प्रमाण पत्र यथा—टी0सी0, सी0सी0, माइग्रेशन आदि 03 माह के भीतर वापस लेना सुनिश्चित करें।